के लिए रबी के अनाजों के अधिप्राप्ति मूल्य अभिस्तवित किए हैं । कृषि मूल्य आयोग ने मूल्य अभिस्तवित करते समय बाजार भावों की प्रवृत्ति, खाद्यान्नों के मूल्य को स्थिर करने की आवश्यकता, किसानों को प्रोत्साहन देने और खाद्यान्नों के मूल्यों में अन्तर्राज्यीय अन्तर को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा था ।

(ख) आयोग द्वारा अभिस्तवित मूल्यों को बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । [देखिए परिशिष्ट 66, "अनुपत्र संख्या 41]

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHEB SHINDE) : (a) The Agricultural Prices Commission has recommended the procurement prices of kharif grains for 1968-69 season and rabi grains for 1968-69 marketing season. While recommending the prices the A. P. C. kept in view the trend in the market prices, need for stabilising the foodgrain prices, incentive to farmers and the need for reduction of inter-State disparities in prices of foodgrains.

(b) A statement of prices recommended by the Commission is laid on the Table of the Sabha. (*See* Appendix LXVI, Annexure No. 46)]

EMBEZZLEMENT IN COOPERATIVE SOCIETY

*286. SHRI N. SRI RAMA REDDY : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to State :

(a) whether Government have received any representation regarding embezzlement of funds by the Cooperative Society, Dasloon, Lambagaon, District Kangra in Himachal Pradesh ;

(b) if so, whether any enquiry has been conducted through a third agency into the affairs of the said Society ; and

(c) if the answer to part (b) above be in the affirmative, what are the findings thereof ?

†[ ] English translation.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : (a) to (c) The Registrar of Cooperative Societies, Himachal Pradesh, Simla received in October, 1968, two letters enclosing a similar note regarding embezzlement in the Cooperative Society, Lambagaon, District Kangra, requesting for confidential enquiry through non-departmental sources. This note has been forwarded to the District Cooperative and Supplies Officer, Dharamsala for enquiry. The enquiry report is awaited.

EXPENDITURE ON EMPLOYMENT EXCHANGES

*287. SHRI M. K. MOHTA : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the annual expenditure incurred on the running of the Employment Exchanges in the country ; and

(b) the number of jobs arranged by the Employment Exchanges annually?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI S. C. JAMIR) : (a) Rs. 177 lakhs in 1967-68.

(b) 431787 in 1967-68.

चुनाव अयोग के प्रकाशनों का हिन्दी में अनुवाद

*288. **श्री ना० कृ० शेजवलकर :**
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री मान सिंह वर्मा :
श्री प्रेम मनोहर :
श्री पीताम्बर दास :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक चुनाव आयोग के किन-किन प्रकाशनों का हिन्दी अनुवाद हुआ है;

(ख) शेष प्रकाशनों का हिंदी अनुवाद न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) अगस्त तथा सितम्बर, 1968 में चुनाव आयोग के कितने आदेश, अधिसूचना प्रतिवेदन विज्ञापन और परिपत्र हि

भी प्रकाशित हुए और शेष आदेशों इत्यादि को हिन्दी में प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†[TRANSLATION OF PUBLICATIONS ETC. INTO HINDI

*288. SHRI N. K. SHEJWALKAR :
SHRI J. P. YADAV :
SHRI MAN SINGH VARMA :
SHRI PREM MANOHAR :
SHRI PITAMBER DAS :

Will the Minister of LAW be pleased to state :

(a) the names of the publications of the Election Commission which have so far been translated into Hindi ;

(b) the reasons for not getting the rest of the publications translated into Hindi ; and

(c) the number of orders, notifications, reports, advertisements and circulars of the Election Commission which were published in Hindi also during the months of August and September, 1968, and what are the reasons for not publishing the remaining ones in Hindi ?]

विधि मंत्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग का सम्बन्ध निम्नलिखित प्रकाशनों से है :—

(1) भारत में साधारण निर्वाचनों पर रिपोर्टें;

(2) अभ्यर्थियों के लिए पुस्तिका;

(3) रिटर्निंग आफिसरों के लिए पुस्तिका;

(4) पीठासीन आफिसरों को अनुदेश;

(5) संसदीय और सभा निर्वाचनक्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966;

(6) निर्वाचन विधि रिपोर्ट ।

चौथे साधारण निर्वाचन, 1967 पर रिपोर्ट जिल्द –1 अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में प्रकाशित की गई है। चूंकि रिपोर्ट की जिल्द–2 में केवल आंकड़ों सम्बन्धी जानकारी अन्तर्विष्ट है अतः इसका हिन्दी अनुवाद आवश्यक नहीं समझा गया है ।

†[ ] English translation.

जहां तक ऊपर मद (2) में वर्णित प्रकाशन का सम्बन्ध है आयोग का अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशन निकालने का विचार है। ऊपर मद (3) और (4) पर वर्णित प्रकाशन सरकारी प्रकाशन हैं और निर्वाचन आयोग का उनको हिन्दी में अनुवाद करने का विचार नहीं है । ऊपर मद (5) के सामने वर्णित संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश 1966 वर्ष 1966 में किया गया था और संसदीय तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित विभिन्न आदेशों की एक समेकित जिल्द आयोग द्वारा 1967 में निकाली गई थी । आयोग के लिए अभी तक उन आदेशों का हिन्दी में अनुवाद कराना संभव नहीं हो सका है । चूंकि निर्वाचन विधि रिपोर्टों में उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय के निर्णय अन्तर्विष्ट हैं, अतः गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 2/42/68-ओ० एल०, तारीख 19 अगस्त, 1968 के अनुसार, जिसकी प्रति संलग्न है, उनका हिन्दी में प्रकाशन आवश्यक नहीं है (**नीचे देखिये**) ।

(ग) सम्बद्ध कालावधि के दौरान केवल एक अकानूनी अधिसूचना निकाली गई थी । आयोग द्वारा इसका हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया था ।

गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं० 2/42/68-ओ० एल०, ता० 19 अगस्त, 1968

भारत के राजपत्र का हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशन ।

तारीख 27 अप्रैल, 1960 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसरण में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए तैयार किये गये कार्यक्रम के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये तारीख 27 मार्च, 1961 के कार्यालय ज्ञापन सं० 16-7-61–ओ० एल० का संदर्भ देते हुए यह कहने का निर्णय हुआ है कि उसके पैरा 3(5) के अधीन भारत के राजपत्र के चुने हुए भाग हिंदी में भी प्रकाशित करने के लिए 1962-63

से प्रबंध किये जाने थे। मंत्रालयों आदि को यह भी सूचित किया गया था कि मुद्रण के नियंत्रक द्वारा हिन्दी की सामग्री की छपाई के लिए समुचित प्रबंध फरीदाबाद प्रेस में कर दिये गये थे और वे (मंत्रालय) राजपत्र में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशन के लिए सभी सामग्री एक साथ भेजें।

2. संशोधित राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार सकल्पों, नियमों, अधिसूचनाओं और नोटिसों आदि के लिए हिन्दी और अग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य है। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए ऐसी सभी सामग्री दोनों भाषाओं में साथ-साथ भेजी जाय। कानूनी से भिन्न कागजात का हिन्दी अनुवाद पहले के समान ही संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा ही किया जायेगा। (पुनरावृत्ति प्रकार की अधिसूचनाओं के अतिरिक्त) सभी कानूनी अधिसूचनाओं और नियमों का अनुवाद विधि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध किया जायगा। जिन कानूनों से भिन्न कागजात का मूल आलेखन विधि मंत्रालय के परामर्श से किया गया हो, उनका हिन्दी अनुवाद सबधित मंत्रालयों द्वारा किया जायगा और विधि मंत्रालय से उनका पुनरीक्षण करा लिया जायगा।

3. क्योंकि संकल्पों, नियमों, अधिसूचनाओं, नोटिसों आदि का हिन्दी में प्रकाशन सांविधिक रूप से आवश्यक है, इसलिए वित्त मत्रालय आदि से अनुरोध है कि इस आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करने के हेतु इस सबध में आवश्यक प्रबध किये जाये। भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए कोई सामग्री केवल अंग्रेजी में स्वीकार न करने के हेतु मुद्रणालयों को अनुदेश जारी करने के लिए मुद्रण तथा लेखन सामग्री के मुख्य नियंत्रक से यथा समय अनुरोध किया जायेगा। केवल औद्योगिक निर्वाचन अधिकरणों के निर्णयों (भाग III) तथा प्राइवेट पार्टियों द्वारा दिये गये नोटिसों (भाग 4) को ही इस आवश्यकता से छूट होगी।

†[THE MINISTER OF LAW (SHRI P. GOVINDA MENON) : (a) and (b) The Election Commission is concerned with the following publications :—

(1) Reports on the General Elections in India ;

(2) Handbook for candidates ;

(3) Handbook for Returning Officers ;

(4) Instructions to Presiding Officers ;

(5) Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1966 ;

(6) Election Law Reports.

The Report on the Fourth General Elections, 1967, Volume-I, has been published both in English and Hindi. As Volume-II of the Report contains only statistical information, its Hindi translation has not been considered necessary.

As regards the publication mentioned at item (2) above, the Commission intends to bring out the publication in English and Hindi. The publications mentioned at items (3) and (4) above are official publications and the Election Commission does not intend to translate them in Hindi. The Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1966, mentioned against item (5) above, was issued in 1966 and a consolidated volume containing the various orders relating to delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies was brought out by the Commission late in 1967. It has not so far been possible for the Commission to have the orders translated in Hindi. As the Election Law Reports contain judgments of the High Courts/Supreme Court, their publication in Hindi is not necessary *vide* Ministry of Home Affairs O. M. No. 2/42/68-OL, dated 19th August, 1968, copy enclosed. (*See* below.)

(c) Only one non-statutory notification was issued during the relevant period. Its Hindi translation was also published by the Commission.

†[ ] English translation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS O. M. No. 2/42/68-OL, DATED THE 19TH AUGUST, 1968

Gazette of India—Publication in both Hindi and English

The undersigned is directed to refer to the Ministry of Home Affairs O. M. No. 16/7/61-OL, dated the 27th March, 1961, regarding the programme for the progressive use of Hindi prepared in pursuance of the Presidential Order, dated 27th April, 1960, and to say that under para 3(5) thereof arrangements were required to be made from 1962-63 for the publication in Hindi also of selected parts of the Gazette of India. The Ministries etc. were also informed that adequate arrangements for printing of Hindi matter had been made by the Controller of Printing at the Faridabad Press, and that they should send all material for publication in the Gazette both in Hindi and English simultaneously.

2. Section 3(3) of the Official Languages Act, as amended, makes obligatory the use of both Hindi and the English language for resolutions, rules, notifications and notices etc. It is, therefore, necessary that all such material is sent in both the languages simultaneously for publication in the Gazette of India. The Hindi translation of non-statutory documents will be done by the concerned Ministries/ Departments themselves as hitherto. The translation of all statutory notifications (excepting those of a repetitive nature), and Rules will be supplied by the Ministry of Law. The Hindi translation of non-statutory documents, where the original drafting has been done in consultation with the Ministry of Law, will be done by the concerned Ministries and got vetted by the Ministry of Law.

3. As the publication of Hindi version of resolutions, rules, notifications, notices etc. is now a statutory requirement, the Ministry of Finance, etc. are requested to make necessary arrangements in this behalf so as to ensure compliance of this requirement. The Chief Controller of Printing and Stationery will be requested in due course to instruct the Presses not to accept any material in English language only for publication in the Gazette of India. The only exemption will be the judgments of the industrial/Election Tribunals (Part III) and notices inserted by private parties (Part IV.]

होटलों तथा रेस्तराओं के लिए मजूरी बोर्ड

*289. **श्री राजनारायण** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटलों तथा रेस्तराओं के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त किये गये मजूरी बोर्ड ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन ने उन्हें स्वीकार कर लिया है; और

(ग) इन सिफारिशों का ब्योरा क्या है तथा उन्हें कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है ?

†[WAGE BOARD FOR HOTELS AND RESTAURANTS

*289. SHRI RAJNARAIN : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the Wage Board for Hotels and Restaurants appointed by the Delhi Administration has submitted its recommendations;

(b) if so, whether the Delhi Administration have accepted them; and

(c) what are the details of the recommendations and the time by when they are likely to be implemented?]

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) ये सिफारिशें दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं । ये मजूरी विन्यास, महंगाई भत्ता, सेवा-खर्च, गैच्युटी और कल्याण निधि के बारे में हैं । उनकी क्रियान्विति शुरू हो गई है ।

†[THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI JAISUKHLAL HATHI) : (a) and (b) Yes, Sir.

†[ ] English translation.